न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्याः– प्रार्थना पत्र संख्या 32/2019

निर्णय दिनांक :– 2-8-2019

सुशील पुत्र दूलाराम जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील रतनगढ

... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरू

...अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्री दीवानसिंह अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकार राज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में अकिंत नाम का शुद्वीकरण करवाने हेतु दिनांक 8.7.2019 को प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थी का कथन है कि ग्राम भोजासर तहसील रतनगढ में ख.नं. 27, 38/331, 220 व 222 कुल किता 4 तादादी 11.2554 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें प्रार्थी का 1/56 हिस्सा है।
3. प्रार्थी का जमाबन्दी में नाम नानुराम पुत्र दूलाराम अकिंत है लेकिन वास्तवितक नाम सुशील है। प्रार्थी के अन्य सरकारी कागजात आधार कार्ड, ड्राईविंग

अर्पिता
उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

लाईसेंस पासपोर्ट में सुशीलकुमार अकिंत है। प्रार्थी के नाम में भिन्नता होने के कारण सरकारी लाभ से वचिंत रह रहा है। अतः वादगत ख.न. 27, 38/331, 220 व 222 कुल किता 4 तादादी 11.2554 हैक्टर भूमि रोही ग्राम भोजासर में प्रार्थी का नाम नानुराम के स्थान पर दूलाराम करने की कृपा करें

4. तहसीलदार, रतनगढ से इस बाबत रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार की रिपोर्ट कमांक 446 दिनांक 22.7.2019 के अनुसार नामान्तरणकरण संख्या 196 के जरिये फौत खातेदार तोला पुत्र तुलछा का विरासतन दर्ज हुआ था, जिसमें दूलाराम के वारिसान में नानूराम का नाम कुर्सीनामा जो ग्राम पंचायत की ओर से तस्दीक किया गया है उसके आधार पर अकिंत हुआ है। कुर्सीनामा में अन्य नाम अकिंत नही है। प्रार्थी द्वारा जो आधार कार्ड, पासपोर्ट की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की है, वह सुशील कुमार पुत्र दुलाराम के नाम के नाम से है परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे माना जा सके कि सुशील कुमार व नानुराम एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी के द्वारा जो जमाबन्दी प्रस्तुत की गई है वो साक्ष्य में ग्राह्य नही है। पटवारी हल्का/ तहसीलदार द्वारा भी ऐसी कोई तस्दीक नही की गई है। इस प्रकार समुचित साक्ष्य एवं पुष्टि के अभाव में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 2-8-2019 को बसरे ईजलास सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ(चूरू)

उप खण्ड अधिकारी रतनगढ़ (चूरू)